

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री कल्पित शिवरान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्यामु पिता नन्दा मीणा नि. वागेलो का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

वादी

।।बनाम।।

- 1.श्री मति सुखी पिता नन्दा पत्नि बगदीराम मीणा नि. वागेलो का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
- 2.श्री मति दरजुड़ी पिता नन्दा पत्नि प्रथा मीणा नि. वागेलो का खेड़ा हाल मुकाम रतिचन्द जी का खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
- 3.श्री राज्य जरिये तहसीलदार साहब, बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 14/2024 वादपत्र (जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/20)
अन्तर्गत धारा 88,209 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावी की उपस्थिति में और प्रतिवादी की ओर श्री अविनाशकुमार आमेटा में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाकर प्रस्तुत राजीनामा (स्वीकार) अनुसार निम्न प्रकार डिग्री किया जाता है कि ग्राम वागेलो का खेड़ा की आराजी नं. 234,235,237, कुल किता 03 रकबा 0.9800 हैक्टर भुमि वादी श्यामु पिता नन्दा के खातेदारी में घोषित की जाती हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित.....को दी जावे। यह आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

क्रमांक/राजस्व/2024/ 367 दिनांक:- 5/8/24

मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे।



उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

